

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1862 / 2014

जिला -जयपुर

उनवान : मैसर्स आशीर्वाद एटरप्राइजेज,जयपुर बनाम वाणिज्यक कर अधिकारी,प्रतिकरपवचन, राजस्थान—
कृत-द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय,वाणिज्यक कर,जयपुर

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनीशियल जज हुवम
---------------	---

नम्बर व तारीख

अहफाम जो इस

हुवम की तभील

में जारी हुए

10.11.2014

अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभियाषक व एवं विभाग की ओर से
उप-राजकीय अधिकरता श्री एन के बैद उपस्थित।
अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अधिकारी-द्वितीय,वाणिज्यक
कर जयपुर जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश
दिनांक 16.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे
आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं के
विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यक कर
अधिकारी,प्रतिकरपवचन, राजस्थान— द्वारा-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण
अधिकारी” कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014, जो
अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये
पारित किया गया है, में कायम मांग राशि में से 10,11,779/- के संबंध में अपीलीय
अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आदेशन पत्र को अधिकारी द्वारा आंशिक रूप
से स्वीकार कर रु. 5,91,916/-पर स्थगन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी
द्वारा अपीलार्थीन आदेश के अन्तर्गत शेष रही स्थगन हेतु राशि पर रोक लगाये जाने
की प्रार्थना की गई।

उम्य पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अदव अधिकारियों द्वारा
पारित आदेशों एवं उद्दरित न्यायिक दृष्टन्तों का सम्पर्क अध्ययन किया गया। कर
निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक
24.09.2014 में रु. 14,79,790/-की मांग सुनित की है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा
अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु राशि 10,11,779/-को विवादित करने
प्रदान किया है। उक्त अपीलार्थीन आदेश के अनुसार स्थगन हेतु शेष राशि रु.
4,19,863/- रहती है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रु. 8,48,095/- का स्थगन
चाहा गया है, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये स्थगन आदेश में वर्णित राशि से
मिल है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।


प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है
कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना
पर को अखीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलार्थीन
आदेश दिनांक 16.10.2014 में अकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के
गुणवर्णन को प्रमावित किये बिना अपीलार्थीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य शेष
राशि रु. 4,19,863/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप


2 -

समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर रक्षण हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है।

उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पापावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष